


Government of Rajasthan  
**Dr. S.N. Medical College, Jodhpur**  
Application form for Senior Resident

Senior Resident (Subject/ Specialty.....)

Mark Category: GEN/SC/ST/OBC/Others.....

1. Name of Candidate.....
2. Father/Husband's Name.....
3. Date of Birth(Attach Certificate).....
4. Age (on 01-01-2021).....
5. Address .....
- .....
6. Contact No. ....
7. Email id.....
8. Aadhar Card no. ....
9. Academic Qualification(attested Copies of Mark sheets and Certificates must be attached)



Name of Examination	Name of College	Name of University	Month & Year	Maximum Marks	Marks Obtained	Percentage	No. of Attempt
Ist Yr. MBBS							
IInd Yr MBBS							
Final MBBS Part-I							
Final MBBS Part-II							
Total							
M.D./M.S.							
D.M/M.Ch.							
Others							

10. (a) MBBS RMC Registration No.:- .....Date of registration/renewal.....
- (b) MD/MS RMC Registration No. : .....Date of registration/renewal.....
11. Had you ever been done work as Senior Resident? Yes / No  
     If yes, then what was the Duration.....
12. Currently, are you workin as Govt. Employe? Yes / No
13. No. of Publications as per MCI norms (Attach Proof) .....

SIGNATURE OF CANDIDATE

## Documents

Original Document with one set of Photo copy with self attested to be submitted at the time of interview	Please Tick (√)	Original Document with one set of Photo copy with self attested to be submitted at the time of interview	Please Tick (√)
(1) MBBS Mark Sheets (All )		(8) Msc./ Phd.	
(2) Degree Certificate MBBS		(9) MS/MD - RMC Registration Certificate.	
(3) Degree Certificate MS/MD		(10) Birth Date Proof : 10 <sup>th</sup> Mark sheet.	
(4) Mch. /DNB Degree Certificate		(11) NOC in case of In-Service candidates	
(5) MBBS Attempt Certificate		(12) Aadhar Card	
(6) MD/MS Attempt Certificate		(13) Cast Certificate	
(7) MBBS - RMC Registration Certificate		(14) Experience Certificate, If any	

### सीनियर रेजीडेन्ट के पद के कर्तव्य एवं अन्य भार्ते:-

- सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर चयन शुरुआत में छः माह के लिए किया जाएगा तत्पश्चात् सेवा संतोषजनक होने पर पुनः छः माह के लिए अभिवृद्धि की जा सकती है।
- जो अभ्यर्थी चयन से पूर्व स्थाई/अस्थायी तौर पर अन्य विशिष्टता/समान विशिष्टता में कार्यरत है उन्हें इस चयन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व उस विशिष्टता से त्याग पत्र देना होगा। राज्य सेवा में कार्यरत/अन्य संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- राजस्थान राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.21(2)चिस्वा/2/2018 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप नियुक्ति/वेतन देय है।
- सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रूप में करना होगा, जिसके लिए 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिए गए अवकाश की अवधि का कोई स्टार्डफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- सीनियर रेजीडेन्ट महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीनियर रेजीडेन्सी के दौरान केवल एक बार अधिकतम 6 माह का प्रसूति अवकाश देय होगा।
- सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा, जिसके लिए शिक्षक के रूप में उनके कार्य अनुभव की गणना की जावेगी जो भविष्य में यदि अभ्यर्थी चाहेगा तो उसे कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थी हड़ताल आदि में सम्मिलित पाया गया तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
- सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टार्डफण्ड राजकोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती; परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्वी प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहां बच्चों की संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों की एक इकाई समझा जावेगा।
- साक्षात्कार हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नाम:-.....

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर:-.....